

## Kiosk Migration Policy

पूर्व निर्धारित शर्तों को विलोपित करते हुये, कियोस्क का एक स्थानीय सेवा प्रदाता से दूसरे स्थानीय सेवा प्रदाता में Migration निम्न शर्तों के अधीन है:

1. जिस स्थानीय सेवा प्रदाता में कियोस्क माइग्रेशन करना चाहता है उसे उस जिले में कम से कम तीन महीने का कार्य अनुभव होना चाहिए
2. जिस स्थानीय सेवा प्रदाता में कियोस्क माइग्रेशन करना चाहता है उस LSP के उस जिले में 20 कियोस्क कार्यरत होने चाहिए तथा जिला समन्वयक नियुक्त होना चाहिए।
3. जिस स्थानीय सेवा प्रदाता में कियोस्क माइग्रेशन करना चाहता है उस स्थानीय सेवा प्रदाता का जिले का ग्रामीण तथा शहरी दोनों rollout पूर्ण होने चाहिए।
4. केवल C category के कियोस्क ही एक स्थानीय सेवा प्रदाता से अन्य स्थानीय सेवा प्रदाता में प्रवासन (Migration) कर सकते हैं।

\*\*\*